समाहरणालय, सीवान
(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक ..../रा0,

प्रेषक,

समाहर्ता,
सीवान।

सेवा में,

अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,
बिहार, पटना।

सीवान, दिनांक ई0

विषय :– बिहार विधान सभा की प्रकिया एवं कार्यसंचालन का नियम 104 (2) के अन्तर्गत श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय सदस्य, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण से संबंधित उतर सामग्री भेजने के संबंध में।

प्रसंग:– संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी बिहार, पटना के पत्रांक 1255/जे0, दिनांक 05.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन का नियम 104 (2) के अन्तर्गत श्री संजय सरावगी एवं अन्य माननीय सदस्य, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण से संबंधित उत्तर सामग्री निम्नवत् है:–

क्र0	प्राप्त ध्यानाकर्षण	उत्तर
1	2	3
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील सं0 4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO. 33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका 27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पतियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नही है, सेवादार हकदार नही है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है।	सिवान जिलान्तर्गत सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया है।
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकबा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के सबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।	सिवान जिला में कुल 64 निबंधित एवं 91 अनिबंधित मठ/मंदिर की पहचान अबतक की गई है। निबंधित मठ/मंदिरों का जांच अंचल अधिकारियों से कराया गया है निबंधित कुल 64 मठ/मंदिरों में से 52 मठ/मंदिरों के भूमि का प्रतिवेदन प्राप्त है एवं कुल रकबा– 457.98 एकड़ है। अनिबंधित मठ/मंदिरों की सूची अंचल अधिकारियों को जांच हेतु भेजी गयी है।
3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मॉग प्रतिवेदन	सभी अंचल अधिकारियों को उनके अंचल में चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिरों की भूमि की पैमाईश कराने का निदेश दिया गया है। साथ हीं सभी अंचल अधिकारियों से पैमाईश किये गये जमीन पर पीलर लगाने में आने वाले व्यय का आंकलन कर प्रतिवेदन की मांग की गयी है।

4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	सभी अंचल अधिकारियों को मठ/मंदिरों की वैसी जमीन जिस पर अवैघ कब्जा है उसकी सूची की मांग की गयी है तथा निदेशित किया गया है कि सभी अवैध कब्जा वाले भूमि को विधि –सम्मत मुक्त करने की कार्रवाई की जाय।

सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

ह0/-
समाहर्ता,
सीवान।

ज्ञापांक 421 मु0/रा0, दिनांक 05.03.2022

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी बिहार, पटना को पत्रांक 1255/जे0, दिनांक 05.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल छपरा को ज्ञापांक 401, दिनांक 05.03.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/22
समाहर्ता,
सीवान।